रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2007/ज्येष्ठ 10, 1929

No. 253] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2007/JYAISTHA 10, 1929

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

## शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 मई, 2007

**सा.का.नि. 408(अ).**—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के शुद्धि-पत्र सं. सा.का.नि. 42(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2006 [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंक और लेबलिंग) नियमावली, 2006] की अधिसूचना में दिन, महीना और वर्ष, "1 जून, 2007" के लिए दिन, महीना और वर्ष "1 अक्टूबर, 2007" प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पी-16011/7/2005-पी एच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st May, 2007

**G.S.R. 408(E).**—In the notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare No. GSR 42(E) Corrigendum dated 24th January, 2007 to the [Cigarettes & Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2006], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary for the day, month and year, "1st June of 2007", the day, month and year "1st October of 2007" may be substituted.

[F. No. P-16011/7/2005-PH]

BHAWANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.

239 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.